मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः16.05.2026

थाना कछवां पुलिस द्वारा ₹25 हजार का इनामिया एक अवैध असलहा तस्करी गैंग का सरगना पुलिस मुठभेड़ घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद पिस्टल.32 बोर, 02 अदद कट्टा (.315 बोर व .303 बोर) मय जिंदा व खोखा कारतूस बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा पुरस्कार घोषित/इनामियाँ/गो-तस्करी तथा अवैध मादक पदार्थों/असलहों की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिए गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर-नितेश सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर-मुनेन्द्र पाल सिंह, प्रभारी थानाध्यक्ष कछवां के रूप कार्यरत् सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षणाधीन-कनिष्क आर.जामकर के नेतृत्व में थाना कछवां पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक:16.05.2026 को थाना कछवां पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-76/2026 धारा-109 बीएनएस व धारा-3,25,27 आयुध अधिनियम तथा मु0अ0सं0-89/2026 धारा-3,25 आयुध अधिनियम के अभियोग में वांछित अभियुक्तगण एक मोटरसाइकिल से भटौली के रास्ते भदोही की तरफ जा रहे है जो अपने पास अवैध असलहा रखें है। उक्त सूचना पर थाना कछवां पुलिस टीम द्वारा केवटावीर के पास घेराबंदी कर सघन वाहन चेकिंग जा रही थी कि एक मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया तो पुलिस से स्वयं को घिरता देखकर मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे परन्तु थाना कछवां पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी सीमित फायरिंग की गयी, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है तथा दूसरा भागने में सफल रहा। पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त देवश्वर शुक्ला पुत्र कृपाशंकर निवासी जयवंत सिंह का पुरा थाना पड़री जनपद मीरजापुर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सहित अन्य कुल 01 अदद पिस्टल.32 बोर, 02 अदद कट्टा .315 बोर व .303 बोर तथा 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कछवां पर मु0अ0सं0-93/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/7/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। मौके से फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

1. देवश्वर शुक्ला पुत्र कृपाशंकर निवासी जयवंत सिंह का पुरा थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-30 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

- 01 अदद पिस्टल.32 बोर, 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस.32 बोर
- 02 अदद कट्टा.315 बोर व .303 बोर
- ₹460 नगद (जमा-तलाशी)

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-93/2026 धारा 109 बीएनएस एवं 3/7/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना कछवां जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-678/2025 धारा-351(3) बीएनएस थाना मेजा जनपद प्रयागराज

2.मु0अ0स0-76/2026 धारा-109 बीएनएस व धारा-3,25,27 आयुध अधिनियम थाना कछवां जनपद मीरजापुर

3.मु0अ0सं0-89/2026 धारा-3,25 आयुध अधिनियम थाना कछवां जनपद मीरजापुर

4.मु0अ0सं0-437/2022 धारा-3/5/25 आयुध अधिनियम थाना सारनाथ जनपद वाराणसी

गिरफ्तार का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम केवटावीर के पास से, आज दिनांक 16.05.2026 को समय 04:42 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक अमरजीत चौहान, प्रभारी निरीक्षक थाना कछवां, मीरजापुर।

उपनिरीक्षक विनय कुमार दुबे,चौकी प्रभारी कस्बा कछवां व साहिद यादव।

मुख्य आरक्षी धनन्जय राय,अताउल्ला खां,शिवपुजन चौबे,मृदुल यादव।

****